उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-88/2018/1269/छप्पन-2018-03/2012
लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत कै0 कमलेश्वर सिंह, जिनकी संविदा अवधि दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक है, द्वारा पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2018 के माध्यम से अनुबन्ध-पत्र की शर्त के अनुसार 03 माह का नोटिस देते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से सेवामुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- कै0 कमलेश्वर सिंह द्वारा नोटिस दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से स्वयं को सेवामुक्त किए जाने के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उनके त्याग-पत्र पर इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं कि दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 के अपरान्ह से कार्यमुक्त किए जाने के पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग एवं कै0 कमलेश्वर सिंह के मध्य निष्पादित संविदा विषयक अनुबन्ध-पत्र की शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुरूप उन पर यदि कोई देनदारी है तो उसे नियमानुसार जमा करा लिया जाए। साथ ही अपेक्षित अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के बाद ही उन्हें सेवामुक्त किया जाए।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0-88/2018/1269(1)/छप्पन-2018 -तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी 1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- कै0 कमलेश्वर सिंह को उनके पत्र दिनांक 03.07.2018 के सन्दर्भ में।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/कार्मिक-1
9- गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in